

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 33/2026

शंकरलाल पुत्र श्री लेखराम जाति ब्राह्मण निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ (राज.)

आत्माराम पुत्र श्री लेखराम जाति ब्राह्मण निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ (राज.)

-वादीगण

बनाम्

देवी पत्नी श्री लेखराम जाति ब्राह्मण निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ (राज.)

सुखप्रीत कौर पुत्री श्री लेखराम पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी बोलांवाली  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद बडागुढा तहसील व जिला  
सिरसा (हरि.)

रजनी पुत्री श्री लेखराम पत्नी श्री ओंकार जाति ब्राह्मण निवासी बोलांवाली तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) हाल आबाद बडागुढा तहसील व जिला सिरसा  
(हरि.)

तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट  
प्रतिवादी सं. 1ता3 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

## दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.


यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष  
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील  
वादीगण मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी  
सं. 1ता3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि चक 17  
बी.जी.पी. के खाता सं. 272/100 खाता लेखराम जमाबन्दी सम्बत्  
लगातार --2

महायुक्त कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

2072-2075(जमाबन्दी 2078) में लेखराम पुत्र श्री हरिराम के नाम दर्ज 1. 328 है. तथा इसी चक के खाता सं. 278/99 खाता अमनदीप शर्मा वगैरा में दर्ज कुल 0.253 है. में से लेखराम पुत्र श्री हरीराम के नाम दर्ज 14/253 हिस्सा तथा चक 15 बी.जी.पी. के खाता सं. 289/94 खाता लेखराम में दर्ज कुल 0.970 है. आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खातो में से लेखराम पुत्र श्री हरिराम का नाम कलमजन किया जावे।

निज .......... निल .......... मुब्लिक ..........निल .......... बाबत्  
..........निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना  
आज की तारीख वसूलयाबी तक ..........को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 18.2.2024  
को जारी किया जाता है।



(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संगरिया